

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

तहसीलदार, धौद

बनाम

लिहामठा आदि

क्रिय प्रकृष्टमा

अप.प. 6 धौ. 131, 132 आ.प.प.

पु.नं. 385 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/9/25	<p>प्रकरण में राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट-04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (गुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज-6/2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धौद के पत्रांक: भू.अ./2025/1263 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम पुरा छोटी पटवार मण्डल नागवा भू.अ.नि. वृत् नेतड़वास तहसील धौद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 812/286, 811/286, 810/286, 809/286 में प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ है।</p> <p>सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरों में से होकर गुजरने वाला रास्ता के मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल डालकर वर्षों से ग्रामीणों द्वारा आने-जाने हेतु काम में लिया आ रहा है। प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत् नेतड़वास की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धौद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम पुरा छोटी पटवार मण्डल नागवा भू.अ.नि. वृत् नेतड़वास तहसील धौद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 812/286, 811/286, 810/286, 809/286 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है।</p> <p>सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट-04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (गुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज-6/2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, धौद से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। नजरी नक्शा में भी मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू होना बताया है। प्रस्ताव पर खातेदारान की सहमति बाबत हस्ताक्षर अंकित है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। तहसीलदार, धौद के पत्रांक: भू.अ./2025/1263 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा प्रस्तुत अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957</p>



उपखण्ड अधिकारी
धौद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला -

बनाम लि. 487 क/17
 तहसीलदार, धोद
 किस्म मुकदमा मु.नं. 385 वर्ष 23
 प्रायशः द. धी. 131, 132, 133, 134

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	<p>के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, धोद के पत्रांक: पत्रांक: भू.अ./2025/1263 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा अभिशंषित संलग्न रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम पुरा छोटी पटवार मण्डल नागवा भू.अ.नि. वृत्त नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 812/286, 811/286, 810/286, 809/286 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1263 दिनांक 09.07.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी
 धोद जिला सीकर
 उपखण्ड अधिकारी
 धोद जिला-सीकर

शिविर स्थल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

(एल.आर. एक्ट 1956, की धारा 131 व 132 एवं भू राजस्व अधि. 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के तहत)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
घोद, मु. सीकर।

द्वारा - श्रीमान् तहसीलदार महोदय घोद।
विषय:- रास्तों के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पुरा छोटी

पटवार मण्डल बारा

तहसील घोद जिला सीकर में अवस्थित एवं प्रचलित सार्वजनिक रास्ता का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	खसरा न. जिसमें से होकर रास्ता गुजरता है	रकबा	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ता के काम आ रहा है	नाम खातेदारान्	वि.वि.
1	812/286	1.4200 का 1	0.0526	शरण भूषण प्रेम सिंह बंसी गाँव साडेह		
2	811/286	1.4200 का 1	0.0528	कुमारसिंह पाण्डे बनाराम, नवलकिशोर सुन्दरनारायण, आनाराम सुन्दरनारायण, हगाराम सुन्दरनारायण बरखस मुरवा		
3	810/286	0.0200 का 1	0.0048			
4	809/286	1.4200 का 1	0.0526	लक्ष्मण सुन्दरनारायण सिंह बंसी गाँव साडेह		
5						
6						
7						
8						
9						
10						

25/6
9/7/25

प्रस्तावित / प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में पेन्सिल/ लाल स्वाही से दिखाया गया है. उक्त नक्शा प्रस्तावित कर वास्ते अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है. उक्त नक्शा में 812/286, 811/286, 810/286 व 809/286 के खसरे जो रास्ता के काम आ रहे हैं, उनका रकबा 0.0526, 0.0528, 0.0048 व 0.0526 है. उक्त नक्शा में लिमा गाँव के सार्वजनिक रास्ते को निम्नानुसार दिखाया है.

प. न. 10/14/2025

